

समाहरणालय, मुंगेर
(जिला पंचायत राज कार्यालय, मुंगेर)
आदेश

संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना के पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/ 74 (आ0)/पं0रा0, दिनांक:-18.03.2019 के द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-2019 में मांग संख्या-16 एवं विपत्र कोड-16- 2015001090002 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2015-निर्वाचन-उप मुख्य शीर्ष -00-लधु शीर्ष-109-पंचायतों/स्थानीय निकायों को चुनाव के आयोजन के लिए प्रभार-उप शीर्ष-0002-जिला परिषदों /पंचायत समितियों /ग्राम पंचायत का चुनाव विषय शीर्ष -0002.11.01-यात्रा व्यय में निम्नांकित रूप से आवंटन प्राप्त कराया गया है।

(1) -0002.11.01- यात्रा व्यय ईकाई में प्रति मतदान केन्द्रों की संख्या के आधार पर कुल 2310.00 (दो हजार तीन सौ दस रुपये) मात्र की दर से कुल:- 69,300.00 (उनहत्तर हजार तीन सौ रुपये) का आवंटन प्राप्त हुआ है ।

जिसे अधोलिखित पदाधिकारी को उनके नाम से सामने स्तम्भ-3 में अंकित राशि को उपावंटित किया जाता है :-

क्र0 सं0	निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का नाम	-0002.11.01- यात्रा व्यय ईकाई
1	2	3
1.	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर।	22,000.00
2.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर।	2,800.00
3.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, बरियारपुर।	15,400.00
4.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, खड़गपुर।	2,800.00
5.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, तारापुर ।	23,500.00
6.	प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, संग्रामपुर।	2,800.00
	कुल योग :-	69,300.00 (उनहत्तर हजार तीन सौ रुपये)

उपावंटित राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561 दिनांक 17.04.1998 एवं 289 दिनांक 28.03.2018, 354 दिनांक:-28.03.2018 एवं 3244 दिनांक:-04.05.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जाय ।

उपावंटित राशि का भुगतान पूरी छानबीन एवं जाँच पडताल के बाद ही किया जाय ,यदि कोई छद्मपूर्ण या अनियमित निकासी होती है तो इसकी पूरी जिम्मेवारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावंटित राशि की निकासी कोषागार में प्रस्तुत किये जाने वाले सभी विपत्रों पर मुख्य शीर्ष / लधु शीर्ष / उप शीर्ष / प्राथमिक ईकाई आदि का स्पष्ट मुहर, ईकाईयों का कोड ,विपत्र कोड एवं मांग संख्या अनिवार्य रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें । ताकि महालेखाकार के कार्यालय में लेखा संधारण समुचित ढंग से हो सके ।

उपावंटित राशि की निकासी वित्तीय नियमावली, बजट मैनुअल तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में निहित प्रावधानों तथा समय समय पर निर्गत आदेशों का दृढ़तापूर्वक पालन किया जाय ताकि व्यय पर वास्तविक रूप से नियंत्रण रखा जा सके।

उपावंटित राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में आवंटन दिये जाने का अर्थ व्यय की स्वीकृति नहीं समझा जाय । तथा भुगतान के औचित्य से पूर्णतः संतुष्ट होने के उपरान्त ही भुगतान की कार्रवाई की जाय । अन्यथा किये गये भुगतान की सारी जबाबदेही संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी ।

उपावंटित राशि का उपयोग होने के पश्चात् उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार, बिहार पटना को भेजते हुए उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब उपलब्ध करा दिया जाय। राशि की निकासी

से संबंधित टी0भी0 नं0-तिथि एवं कोषागार के नाम सहित विवरणी अधोहस्ताक्षरी को निश्चित रूप उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

उपावंटित राशि की निकासी करते समय नियमानुसार स्रोत पर अनुमान्य कटौती करना तथा उसके लिए आवश्यक प्रमाण पत्र निर्गत करना संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।

EO

जिला पदाधिकारी -सह-
जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत) मुंगेर।

ज्ञापांक.....326...../पं0 दिनांक...20/03/2019.....

प्रतिलिपि :- संयुक्त सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार पटना को उनके पत्रांक 5 प/स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय-01-08/2018/ 74 (आ0)/पं0रा0, दिनांक:-18.03.2019 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मुंगेर/ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, सदर मुंगेर/ बरियारपुर/खड़गपुर/तारापुर एवं संग्रामपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :- जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। अनुरोध है कि इस उपावंटन आदेश को मुंगेर के वेबसाईट पर अपलोड किया जाय।

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

20/03
जिला पदाधिकारी -सह-

जिला निर्वाचन पदाधिकारी, (पंचायत) मुंगेर।